नम्बर व ता॰
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील संख्या 100 / 2019

मैसर्स सरस्वती स्टोर क्रेशर वाकै ग्राम कालाहार तहसील भुसावर जिला भरतपुर जरिये मालिक नरेन्द्रकुमार तिवारी पुत्र सोनीराम तिवारी जाति बागरी ब्राहमण निवासी तेलीपाडा कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम सरस्वती स्टोन क्रेशर मि0न0 19 / 2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

146/1 रकवा 2 वीघा में से 1 वीघा 10 विस्वा ग्राम कालाहार पर कच्चा माल डालकर व क्रेशर लगाकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि में उपयोग करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट का क्रेशर ग्राम कालाहार के आराजी खसरा नम्बर 146/2 रकवा 2 वीघा में लगा हुआ है जिसका अपीलान्ट ने नियमानुसार उद्योग के उपयोग हेतु संपरिवर्तन कराया है। आराजी खसरा नम्बर 146/1 वाकै ग्राम कोटकी से अपीलान्ट का सरोकार नहीं है। यह भूखण्ड भी ग्राम कालाहार में है जो कि ग्यानसिह गुर्जर की खातेदारी में है व उसमें वह काश्त करता है। अपीलान्ट की भूमि इस नम्बर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है तथा अपीलान्ट के खसरा नम्बर 146/2 की खसरा नम्बर 146/1 की तरफ से पक्की दीवार मौके पर स्थित है। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 146/1 में न तो कोई पत्थर आदि डाला है और न ही अन्य प्रकार से उसका उपयोग अकृषि कार्य में किया है। पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये कयास के आधार पर गलत रिपोर्ट की है तथा उक्त खसरा नम्बर के गांव का नाम भी कालाहार की बजाय कोटकी लिखकर सम्पूर्ण कार्यवाही गलत की है। ग्राम कोटकी के उक्त खसरा नम्बर पर अपीलान्ट या ग्यानसिह गुर्जर की खातेदारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी मौके व रिकार्ड की स्वयं द्वारा बिना जांच किये पटवारी की रिपोर्ट पर ही ऑख बन्द करके आदेश पारित किया है जो अवैधानिक है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को क्रेशर का मालिक ग्यानसिंह गुर्जर बताते हुये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गलत कार्यवाही की है। अपीलान्ट से किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की ताईद में उसके बयान भी नहीं लिये गये है। अपीलान्ट मात्र अपने खसरा नम्बर 146/2 के औद्योगिक व्यवसाय के लिये संपरिवर्तन क्षेत्र में ही कार्यरत है व उसी में अपना कच्चा/पक्का माल डालता है। खसरा नम्बर 146/1 रकवा में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उसका उपयोग अकृषि कार्य में लिया हो। सभी कार्यवाही गलत आधारो पर की गई है जो काविल खारिजी के है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट फर्म पर ग्यानसिंह का क्रेशर का कच्चा माल डालकर खसरा नम्बर 146/1 के नाम से कार्यवाही करते हुये फर्म का खसरा नम्बर 146/2 मे पडे हुये माल को खसरा नम्बर 146/1 में बताकर कब्जे में लेकर नीलाम कराने के आदेश जारी किये है, ऐसा करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को बिना सुने इकतरफा में की गई कार्यवाही अवैधानिक है। अपीलान्ट के माल को हटाने का नोटिस देकर अवधि निकल जाने के बाद ही कब्जे राज लेने, हटाने या नीलाम कराने के अधिकार है, सीधे ही बेदखली के आदेश के साथ नीलाम कराने के आदेश देने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का पता दिनांक 04.12.2019 को पटवारी हल्का के द्वारा बताने पर हुआ है। अपीलान्ट ने दिनांक 05.12.2019 को तहसील में जाकर उक्त आदेश की जानकारी की तथा उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र देकर नकल प्राप्त की गई। असल जानकारी दिनांक 05.11.2019 से अपील अन्दर म्याद है। फिर भी म्याद को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम अपील के साथ पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा सरस्वती स्टोन क्रेशर के आराजी खसरा नम्बर 146/1 रकवा 2 वीघा में से 1 वीघा 10 विस्वा पर बेदखल किये जाने एवं उक्त रकवे पर बने हुये क्रेशर व कच्चे माल को कब्जेराज करने के आदेश दिये गये है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 को अपीलान्ट के विरूद्ध अवैधानिक बताते हुये कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 146/1 से अपीलान्ट का कोई सरोकार नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 146/2 ग्राम कालाहार को विधिवत संपरिवर्तन कराने के बाद उपयोग में लिया जा रहा है। मुताविक जमाबन्दी संवत 2071–2074 में खसरा नम्बर 146/1 रकवा 2 वीघा ग्राम कालाहार पर ग्यानसिह पुत्र सरमन कौम गूजर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30.03.2016 की आर्डरसीट पर पक्षकार के हस्ताक्षर है। उसके बाद पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित किया वह पक्षकार की गैरमौजूदगी में किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत पक्षकारों को नहीं सुना है और न ही पटवारी हल्का के बयान आदि लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये एवं विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे पक्षकारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)